उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1673 /xxx (2)/ 2010
देहरादूनःदिनांक 10 नवम्बर, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियों के प्रकम पर विकलांगों को आरक्षण अनुमन्य कराने के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) यथा संशोधित प्रख्यापित है। विकलांगों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्सम्बंधी प्रकिया तथा आरक्षण सम्बंधी रोस्टर के कियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.13.2005 एवं दिनांक 26.4.2008 निर्गत किया गया है।

2– भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरांकित कार्यालय ज्ञाप में विहित प्राविधानों/प्रकियाओं को सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों के प्रकमों पर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः निःशक्तजनों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के प्रकम पर आरक्षण की अनुमन्यता विषयक संदर्भगत भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापों में विहित प्राविधानों/अपनायी जाने वाली प्रकियाओं के अनुरूप तत्सम्बंधी दिशा निर्देश संलग्न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लिखित प्राविधानों/प्रकियाओं को सभी अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए कृपया सभी स्तरों पर उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– विकलांगों के आरक्षण के सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यालय–ज्ञाप से पूर्व निर्गत शासनादेश उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापों में विहित प्राविधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि।

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1673 /XXX (2)/2010,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7– निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप सं0–1673/xxx (2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर, 2010 का संलग्नक

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29–12–2005 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.4.2008 में उल्लिखित प्राविधान के आधार पर निर्धारित दिशा–निर्देश।

1–निःशक्तजनों हेतु आरक्षण की मात्रा–

(क) समूह क, ख,ग, और घ के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेगी, जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां–(क)दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (ख) श्रवणह्रास और (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज)से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।

(ख)समूह 'घ' और 'ग' के पदों की पदोन्नति के मामले में, ऐसे पदों जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तीन प्रतिशत रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां– (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास और (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।

2– निःशक्तजनों हेतु आरक्षण में छूट–

यदि कोई विभाग निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किए जाने के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विचार किया जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान करने विषयक आदेश निर्गत किए जायेंगे।

3– उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान–

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 11–10–2004 एवं दिनांक 6–9–2005 में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हांकित किए गये तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा भविष्य में चिन्हांकित किए जाने वाले संशोधित पदों पर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को 03 प्रतिशत आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग में लायी जायेंगी। तथापि ध्यान रहे कि :–

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में सदृश्य कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियों/पदों के लिए प्रयुक्त नामावली भी शामिल होगी।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित नौकरियों /पदों की सूची निःशेष(Exhaustive) नहीं है। सम्बंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से ही उपयुक्त पहचानी गई नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों/पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि, कोई भी विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गई किसी नौकरी/पद को आरक्षण के दायरे से अपवर्जित नहीं कर सकेगा।

(ग) यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गई कोई नौकरी/पद वेतनमान में अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील हो जाय तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा।

4– एक अथवा दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण–

यदि कोई पद निःशक्तता की एक श्रेणी के लिए उपयुक्त चिन्हित किया गया हो तो उस पद में आरक्षण उस निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसके लिए वह चिन्हित किया गया हो। इसी तरह किसी पद को निःशक्तता की दो श्रेणियों के लिए चिन्हित किए गये होने की स्थिति में जहां तक सम्भव हो, आरक्षण निःशक्तता की उन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जायेगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले।

5– अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति–

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता। इस तरह निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

6– अपनी ही योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजन–

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के अपनी ही योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गये निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जायेंगे। आरक्षित रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जायेंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगे, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में, जहां से भी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमन्य हो, लागू होगा।

7– विकलांगताओं की परिभाषा –

दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के प्रयोजन से विकलांगता की श्रेणियों की परिभाषाऐं नीचे दी गयी हैं:–

(क) दृष्टिहीनता का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित हो अर्थातः–

(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव, या

(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200(सेनालिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्षणता या,

(तीन)जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना

(चार)"कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात भी दृष्टि सम्बंधी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक व्यक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो।

(ख) "श्रवणह्रास" का तात्पर्य सम्वाद सम्बंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि से है।

(ग) "चलनकिया सम्बंधी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोडों या मांसपेसियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय अंगघात हो।

(क) "प्रमस्तिष्कीय अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से परिणामिक असमान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है"

8– आरक्षण के लिए विकलांगता की मात्रा–

केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप पत्र–1) में जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी– विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य चलनकिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

10– मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात स्थायी निःशक्तता के ऐसे मामलों में स्थायी निःशक्तता प्रमाण –पत्र जारी करेगा, जहां निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मैडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र की बैधता की अवधि इंगित करेगा, जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाए। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मैडिकल बोर्ड, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

11– नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

12– आरक्षण की गणना– समूह 'ग' व 'घ' के पदो के मामले में,निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह'ग' अथवा समूह 'घ' के पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों पर ही की जायेगी। किसी अधिष्ठान में समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आंकलन, अधिष्ठान के अन्तर्गत उपयुक्त पहचाने गये और उपयुक्त न पहचाने गये दोनों तरह के समूह 'ग' के पदों में एक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रख्कर की जाएगी। यही प्रकिया समूह 'घ' के पदों पर लागू होगी। इसी प्रकार समूह 'ग' व 'घ' के पदो के पदोंन्नति के मामले में आरक्षण आंकलन करते समय, पदोन्नति कोटे की सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि आरक्षण, पहचाने गए पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन (पहचाने गए पदों और न पहचाने गए पदों में) कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः "किसी पहचाने गए पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 3 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

13– समूह'क' के पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आंकलन, अधिठान में समूह 'क' के सभी उपयुक्त पहचाने गए पदों में सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। आंकलन का यह तरीका समूह'ख' के पदो के लिए भी लागू है।

14– आरक्षण लागू करना–रोस्टरों का रखरखाब–

(क) विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान, प्रारूप पत्र–2 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, 100 बिन्दुओं वाला रोस्टर बनाऐंगे। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' के पदो के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' के पदो के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिए पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' के पदो के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' के पदो के लिए अलग–अलग एक–एक आरक्षण रोस्टर होगा।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र तीन खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगेः–

प्रथम खण्ड–	बिन्दु संख्या–1 से बिन्दु संख्या–33
द्वितीय खण्ड–	बिन्दु संख्या–34 से बिन्दु संख्या–66
तृतीय खण्ड–	बिन्दु संख्या–67 से बिन्दु संख्या–100

(ग) रोस्टर के 1, 34 और 67 संख्या के बिन्दु निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित चिन्हित किए जायेंगे जिनमें से निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के लिए एक–एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि बिन्दु संख्या 1, 34 और 67 किस श्रेणी की निःशक्तता के लिए आरक्षित होंगे।

(घ) अधिष्ठान में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत समूह 'ग' पदों में होने वाली सभी रिक्तियों की प्रविष्टि, संगत रोस्टर रजिस्टर में की जायेगी। यदि बिन्दु संख्या 01 पर आने वाला पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा अधिष्ठान अध्यक्ष इसे निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या–02 से 33 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या–34 से 66 तक अथवा 67 से 100 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। बिन्दु संख्या–1, 34 और 67 को आरक्षित रखने का उद्देश्य बिन्दु 01 से 33 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति बिन्दु 34 से 66 तक प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति और बिन्दु 67 से 100 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने का है।

(ड़) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या–01 से 33 तक कोई भी रिक्ति विकलांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो। उस स्थिति में बिन्दु संख्या–34 से 66 तक 02 रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जायेंगी। यदि बिन्दु संख्या 34 से 66 तक की रिक्तियां किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हों तो बिन्दु संख्या 67 से 100 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियां आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जायेंगी। अभिप्राय यह है कि यदि किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह अगले खण्ड में अग्रेनीत की जाएगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ)यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक अथवा दो खण्ड ही आते हैं तो इसका विवेकाधिकार अधिष्ठान के अध्यक्ष में निहित होगा कि विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय अधिष्ठान द्वारा, पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद

इत्यादि में विकलांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

(ज) पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए एक अलग रोस्टर बनाया जायेगा और विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को आरक्षण दिये जाने के लिए उपर्युक्त वर्णित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इसी तरह समूह 'घ' के पदो के लिए भी दो अलग रोस्टर बनाये जायेंगे,एक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिए।

(झ) समूह 'क' और समूह 'ख' पदों में आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों की रिक्तियों के आधार पर ही किया जायेगा। अधिष्ठानों में समूह 'क' के पदों और समूह 'ख' के पदों के लिए अलग–अलग रोस्टरों का रख–रखाव किया जायेगा। समूह 'क' और समूह 'ख' पदो के लिए रखे गये रोस्टरों में चिन्हित किये गये पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी और ऊपर वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जायेगा।

15– **<u>सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रेनीत किया जाना–</u>**

(क) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की तीनों श्रेणियों के लिए अलग–अलग आरक्षण होगा। लेकिन यदि किसी अधिष्ठान में रिक्तियों का स्वरूप इस प्रकार है कि निःशक्तता की किसी विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता तो समाज कल्याण विभाग के अनुमोदन से रिक्तियों की, इन तीनों श्रेणियों में आपसी अदला–बदली की जा सकती है और आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है और तद्नुसार रिक्तियों को भरा जा सकता है।

(ख) यदि निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्ति को, उस निःशक्तता वाले उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अथवा किसी अन्य ठोस कारणवश नहीं भरा जा सके तो इस प्रकार की रिक्ति भरी नहीं जाएगी और उसे अगले भर्ती वर्ष के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति के रूप में अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

(ग) अगले भर्ती वर्ष में पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति को, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की उसी श्रेणी के लिए आरक्षित माना जाएगा जिसके लिए भर्ती के प्रारम्भिक वर्ष में इसे आरक्षित किया गया था। तथापि, यदि निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो इसे निःशक्तता की तीन श्रेणियों के बीच अदला–बदली करके भरा जाएगा। यदि अगले वर्ष में भी पद को भरने के लिए निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो नियोक्ता निःशक्तता से गस्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भर सकता है। यदि रिक्ति, उस निःशक्तता वाली श्रेणी के व्यक्ति से भरी जाती है, जिसके लिए यह आरक्षित थी अथवा अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति की अदला–बदली द्वारा निःशक्तता की दूसरी श्रेणी के व्यक्ति द्वारा भरी जाती है तो इसे आरक्षण के द्वारा भरी हुई समझा जायेगा। यदि अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा भरी जाती है तो आरक्षण दो भर्ती वर्षो तक की आगे की अवधि के लिए अग्रेनीत हो जायेगा तथा इसके पश्चात आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आगे के इन दो वर्षो में, यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरक्षित रिक्ति को भरने की वही प्रकिया होगी जो बाद वाले पहले भर्ती वर्ष में अपनाई जाती है।

16– **<u>पदोन्नति के मामले में विचारण क्षेत्र परस्पर आदान–प्रदान और अग्रेनीत आरक्षण</u>**

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले निःशक्त उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहॉ सामान्य विचारण क्षेत्र में निःशक्तता की उपयुक्त श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या तक उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की

संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाए गये विचारण क्षेत्र में आने वाले विगलांग उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा। यदि बढ़ाये गये विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला बदली की जा सकती है, ताकि पद को निःशक्तता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षो तक अग्रेनीत कर दिया जाय जिसके बाद वह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि विकलांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति को विकलांगता की अन्य श्रेणी जिसके लिए पद को उपयुक्त चिन्हित किये गये हों, के साथ अदला–बदला जा सकता है। यदि अदला–बदली करके भी आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं है तो आरक्षण को अगले तीन वर्षो तक अग्रेनीत किया जाएगा जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

17– <u>विकलांग व्यक्तियों के लिए होरिजेन्टल आरक्षण</u>

पिछड़े वर्ग के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग) के लिए आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है और निःशक्त व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को होरिजेन्टल आरक्षण कहा जाता है। होरिजेन्टल आरक्षण व वर्टिकल आरक्षण आपस में मिल जाते है। (जिसे इंटर लाकिंग आरक्षण कहा जाता है) और निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गये व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षण के लिए बनाए गये रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/ सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिये गए वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियां आरक्षित हैं और नियुक्त किए गये दो निःशक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के निःशक्त उम्मीदवार को आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जायेगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर रखा जायेगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती तो अनुसूचित जाति का निःशक्त उम्मीदवार भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

18– चूँकि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो के लिए बनाये गये आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्ततः रखा जाना होता है, अतः निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से सम्बद्ध हैं।

19– <u>आयु सीमा में छूट–</u>

(1) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बंधी शासनादेश संख्या 1244/xxx(2)/2005, दिनांक 21.5.2005 द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट दी गई है जिसके अनुसार समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(2) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं, बशर्ते कि पद निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

20– **उपयुक्तता मानदण्डों में छूट–**

यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन किया जाय वशर्ते वे ऐसे पद अथवा पदो के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रकार, यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदंडों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदंडों को शिथिल करके चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पदों पर नियुक्ति हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाए जांए।

21– **स्वास्थ्य परीक्षा–**

पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली के संबंधित नियम के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नये व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता से गस्त व्यक्ति द्वारा धारित किये जाने हेतु उपयुक्त समझे गये पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्साधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

22–**परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूट–**

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित चिकित्सकीय उपयुक्ता के मानदण्ड के आधार नियुक्ति के पात्र होते। (निःशक्त व्यक्तियों को दी गई किन्हीं विशिष्ट छूटों सहित) और जो अपनी निःशक्तता की दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण–पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं

23– **रिक्तियों हेतु नोटिस**

किसी निर्धारित पद पर निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति का उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में रोजगार केन्द्रों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि को नोटिस भेजते समय तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायः–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग/ भूतपूर्व सैनिक/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/श्रवणह्रास की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों/चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्टतः दर्शायी जानी चाहिए।

(2) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाए कि संबंधित पद दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त निःशक्तता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनक्रिया सम्बंधी निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो, के लिए चिन्हित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, आवेदन करने की अनुमति है, भले ही उनके लिए कोई

रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(3) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामले में जिन्हें निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो, चाहे रिक्तियां आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि संबद्ध पद सम्बद्ध निःशक्तता की श्रेणियों यथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त निःशक्तता, श्रवण ह्रास की निःशक्तता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्ता की विकलांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जायगा।

(4) यह भी दर्शाया जाय कि संगत विकलांगता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगे।

24– मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र–

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्राविधानों का सही–सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के कम में मांगकर्ता प्राधिकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

" यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग–पत्र भेजते समय उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियां 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या .....पर आती है और उनमें से ..... रिक्तियां निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है।

25– निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियो के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट–

(i) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक विभागों को निम्नलिखित रिपोर्ट भेजेंगेः–

(क) प्रारूप पत्र–3 में दिये गये निर्धारित प्रपत्रों में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–1 जिसमें वर्ष की प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किए गये हों तथा दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जायेगा।

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (प्रारूप पत्र–4) में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–II जिसमें पिछले कलैण्डर वर्ष में दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से ग्रस्त विकलांगता, श्रवणह्रास की विकलांगता तथा चलनकिया सम्बंधी निःशक्ताता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा वस्तुतः नियुक्त किए गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जाएगा।

(II) प्रशासकीय विभाग उनके अन्तर्गत आने वाले सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी की जांच करेंगे तथा उनके अधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित विभाग के संबंध में पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट–1 तथा पी0डब्लू0डी0 रिपोर्ट– II को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक समाज कल्याण विभाग को भिजवाऐंगे।

(III) समाज कल्याण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायः–

(क) समाज कल्याण विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जाय। सांविधिक, अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकाय प्रोफार्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे जो अपने स्तर पर उनकी जांच, मानीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे। सभी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ऐसी जानकारी एकत्रित करना सार्वजनिक उद्यम विभाग से अपेक्षित है।

(ख) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे तथा वे इसे कार्मिक विभाग को सीधे नहीं भेजेंगे।

(ग) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधी आंकड़ो में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्ति एवं अन्यथा नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(घ) निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों (पी0डब्लू0डी0) रिपोर्ट–1 का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गये व्यक्तियों को उस विभाग/कार्यालय के अधिष्ठान में शामिल करना चाहिए जहॉ उन्हें लिया गया हो, न कि मूल अधिष्ठान में। किसी एक ग्रेड में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में स्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों को सम्बन्धित सेवा की उक्त ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आंकड़ों में शामिल किया जाएगा।

26– <u>विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी–</u>

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाऐंगे।

27– सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लायेंगे।

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप–पत्र–1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या– ..... तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....
लिंग.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल)– दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए)– दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल)–एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक वांह (ओ एल)–एक वांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) धीठ और नितम्ब (बी एच) –पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) –मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि–

(i) बी– अंधता

(ii) पी बी– ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी– बधिर

(ii) पी डी– ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षो .....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv) के सी–घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii) एस टी–खड़े होकर कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(डा0 .....)	(डा0 .....)	(डा0 .....)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

प्रारूप–पत्र–2

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साइकिल सं. और पॉइन्ट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया है			अनारक्षित अथवा आरक्षित *	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.वि./ब./शा.वि. है अथवा इनमें से कोई नही। **	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ वि	ब	शा वि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* यदि आरक्षित पहचाने गए हॉ तो लिखे दृ.वि./ब./शा.वि, जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

** लिखें दृ.वि./ब/शा. वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हो।

*** दृ.वि./ब/शा. वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।

निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित (पी.डब्लू.डी) रिपोर्ट–I
निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का सेवा में प्रतिनिधित्व देर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय / विभाग
सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक विकलांग
1	2	3	4	5	6
समूह 'क'					
समूह 'ख'					
समूह 'ग'					
समूह 'घ'					
कुल					

टिप्पणी (i) दृष्टि विकलांग का आशय, दृष्टि–विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से है।
(ii) बधिर का आशय, उन व्यक्तियों से है जिन्हें कम सुनाई देता है।
(iii) शारीरिक विकलांग का आशय, चलने फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघार(फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों से है।

प्रारूप–पत्र–4

निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित (पी.डब्लू.डी) रिपोर्ट–II
वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण
(वर्ष के सम्बंध में)

मंत्रालय / विभाग
सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय

समूह	सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	पदोन्नति															
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृष्टि विकलांग	बधिर	शारीरिक रूप से विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह 'क'									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह 'ख'									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह 'ग'																
समूह 'घ'																

टिप्पणी (i) दृष्टि विकलांग का आशय, दृष्टि–विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से है।

(ii) बधिर का आशय, बधिर अथवा कम सुनने वाले व्यक्तियों से है।

(iii) शारीरिक विकलांग का आशय, चलने फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज) से ग्रस्त व्यक्तियों से है।

(iv) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर पदोन्नति के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। फिर भी, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है बशर्ते कि सम्बंधित पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में चुना गया हो।